# न्यायालय – प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र)
## (समक्ष – ललित किशोर)

**Registration No. MJC/355/2026**
**Filing No. MJC/2613/2026**
**CNR No. MP07010089952026**
**Filing Date - 20-04-2026**

शिवशंकर शर्मा पुत्र श्री प्रेमनारायण शर्मा, आयु 56 वर्ष, निवासी दानाओली, लश्कर, ग्वालियर

**.....आवेदक**

**बनाम**

1. श्रीमती उषा चौहान पत्नि श्री सुनील सेंगर, आयु 56 वर्ष, व्यवसाय व्यापार,
2. श्रीमती चन्द्रादेवी पत्नि स्व0 केशवराव चौहान, आयु 85 वर्ष, व्यवसाय पता नहीं, निवासीगण होटल आनंद पैलेस, जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर

**.... अनावेदकगण**

3. प्रेमनारायण शर्मा पुत्र स्व0 नत्थीलाल शर्मा, आयु 85 वर्ष, निवासी मां जगदम्बा भवन, दानाओली, लश्कर, ग्वालियर

**.....प्रोफार्मा अनावेदक**

**: : आ दे श : :**
**( आज दिनांक 17 जून 2026 को पारित )**

**1.** इस आदेश के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 24 सी0पी0सी0 का निराकरण किया जा रहा है।

**2.** आवेदक की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 24 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक–3 ने अनावेदक क्रमांक–1 व 2 के विरूद्ध घोषणाा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु दीवानी वाद प्रस्तुत किया था, जो समय समय पर अंतरित होकर वर्तमान में 17वें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक–157/2022 आरसीएसए प्रेमनारायण शर्मा वि0 श्रीमती उषा चौहान आदि के रूप में लंबित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक क्रमांक–1 व 2 ने निष्कासन बाबत् काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में लंबित है। उपरोक्त प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक–3 ने उनकी ओर से प्रस्तुत वाद वापस लिए जाने बाबत्

आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया, जिसका निराकरण होना शेष है। प्रकरण में दिनांक–19.12.2025 को दिन के लगभग 01.00 बजे मासिक किराया जमा करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए जब आवेदक आवेदन लेकर गया, तब पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदक से पूछा गया कि ''आप इस प्रकरण में किरायेदार हैं, आप दूसरी दुकान क्यों नहीं देख लेते, क्योंकि प्रकरण का फैसला होगा, तब तुम्हें दुकान खाली करनी पड़ेगी और खाली करने का समय भी नहीं मिलेगा, पुलिस आयेगी और नाजिर जायेगा, तुम्हारा सामान फैंककर दुकान खाली करा दी जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम राजीनामा करके दुकान खाली कर दो, नहीं तो उन्हें फैंसला करना पड़ेगा। आवेदन लगाने से फायदा नहीं होगा, जितने आवेदन लगाओगे, उतने वह खारिज करेंगी। उन्हें प्रकरण का शीघ्र निराकरण करना है। चूंकि शीतकालीन अवकाश प्रारंभ हो रहे हैं, इस कारण तुम्हें थोड़ा बहुत समय मिल रहा है, लेकिन अगले महीने वे प्रकरण को समाप्त कर देंगी और तुम्हें दुकान खाली करनी पड़ेगी।'' उक्त आशय की लिखित शिकायत मय शपथपत्र दिनांक–05.01.2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के समक्ष की गई थी, जिसकी जानकारी आवेदक ने न्यायालय में चल रहे प्रकरण में भी प्रस्तुत की थी। इस कारण भी पीठासीन अधिकारी आवेदक से रूष्ट हो गई हैं।

**3.** आवेदक की ओर से यह भी प्रकट किया गया है कि आवेदक ने उक्त शिकायत के निराकरण की जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त की, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा शिकायत आवेदन में वर्णित तथ्यों के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की शिकायत मय शपथपत्र प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर को पत्र क्रमांक–47 दिनांक–06.01.2026 से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई, जिसका निराकरण वर्तमान तक नहीं हुआ है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत को वापस लेने के लिए आवेदक से कहा गया, जिसे आवेदक ने वापस लेने से मना कर दिया, जिसके कारण पीठासीन अधिकारी अकारण रूष्ट हो गए हैं और प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक–3 को क्षति पहुंचाने के लिए आमादा हैं और प्रकरण में उनकी किसी बात को नहीं सुना जाता है। इस कारण आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक–3 को वर्तमान न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की आशा समाप्त हो चुकी है और उनका पूर्ण रूप से समाधान हो गया है कि उक्त न्यायालय से उन्हें न्याय प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वह पक्षपाती हो गई हैं। अतः आवेदक की ओर से उपरोक्त प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किए जाने का निवेदन किया गया है।

**4.** अनावेदक क्रमांक–1 व 2 की ओर से श्री राजीव जैन अधिवक्ता ने आवेदनपत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए आवेदनपत्र में वर्णित तथ्यों से इंकार कर यह प्रकट किया है कि आवेदक शिवशंकर शर्मा को आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। भाड़ेदार प्रेमनारायण शर्मा को प्रोफार्मा पक्षकार गलत रूप से बनाया गया

है। आवेदक को अपनी ओर से मासिक किराया जमा करने का कोई अधिकार नहीं था। आवेदक द्वारा बताई गई घटना मात्र काल्पनिक है और अभिभाषक की सोची समझी साजिश के तहत पीठासीन अधिकारी पर आवेदक द्वारा बिला वजह के लांछन लगाये गये हैं। आवेदक को प्रकरण में उपस्थित होकर कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेमनारायण शर्मा द्वारा वादग्रस्त दुकान पर से अपना आधिपत्य हटा लिया गया है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निराकरण करने का आदेश दिया गया है, जिसके तहत पीठासीन अधिकारी पूर्ण ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आवेदक द्वारा बिला वजह के लांछन पीठासीन अधिकारी व अनावेदक क्रमांक–1 पर लगाये जा रहे हैं। अतः आवेदनपत्र निरस्त किया जाकर आवेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलित किए जाने का निवेदन किया गया है।

**5.** अनावेदक क्रमांक–3 प्रकरण में तामीली उपरांत अनुपस्थित रहा है।

**6.** विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

**"क्या आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन, अंतर्गत धारा 24 सी0पी0सी0, उचित एवं सद्भावी होने से, स्वीकार किये जाने योग्य है?"**

**7.** सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के न्यायालय से प्राप्त उक्त मूल प्रकरण क्रमांक–157/2022 आरसीएसए (प्रेमनारायण शर्मा व अन्य वि0 श्रीमती उषा चौहान व अन्य) के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक–3 एवं आवेदक की ओर से यह प्रकरण आनंद पैलेस होटल के बाहर सिविल डिस्पेन्सरी जनकगंज के सामने चौहान भवन में स्थित दुकान में स्वयं को अनावेदक क्रमांक–1 व 2 का किरायेदार होना बताते हुए उपरोक्त दुकान में 4,000/–रूपये प्रतिमाह का वादीगण को किरायेदार घोषित किए जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में अनावेदक क्रमांक–1 व 2 की ओर से प्रतिदावा प्रस्तुत करते हुए आवेदक व अनावेदक क्रमांक–3 से वादग्रस्त दुकान का रिक्त आधिपत्य व 4,000/–रूपये प्रतिमाह की दर से किराया दिलाये जाने की सहायता चाही गई है तथा उपरोक्त प्रकरण वर्तमान में उक्त न्यायालय में वादी साक्षी उषा के प्रतिपरीक्षण/शेष साक्ष्य की अवस्था पर विचाराधीन है।

**8.** आवेदक की ओर से उपरोक्त प्रकरण के अंतरण हेतु एकमात्र यह आधार लिया गया है कि आवेदक की ओर से पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध एक शिकायत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को प्रेषित की गई थी, जिसकी जानकारी पीठासीन अधिकारी को होने पर वे आवेदक से रूष्ट हो गई हैं और वे आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक–3 को क्षति पहुंचाने के लिए आमादा हैं और प्रकरण में उनकी किसी बात को सुना नहीं जाता है। इस कारण उनका पूर्ण रूप से समाधान हो

गया है कि उक्त न्यायालय से उन्हें न्याय प्राप्त नहीं होगा, किन्तु किसी पक्षकार द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध शिकायत किया जाना किसी प्रकरण के अंतरण का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रकट नहीं होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदक की शिकायत से रूष्ट होकर प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है।

**9.** यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिव्यू पिटीशन क्रमांक–647/2026 में पारित आदेश दिनांक–06.04.2026 के अनुसार उपरोक्त प्रकरण के निराकरण हेतु 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है, जिसके अनुसरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु प्रयास किया जाना भी दर्शित होता है।

**10.** इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से वर्तमान पीठासीन अधिकारी के न्यायालय से न्याय न मिलने के संबंध में कोई युक्तियुक्त एवं उचित आधार दर्शित नहीं किया गया है। न्याय दृष्टान्त **महेश प्रसाद सेन विरूद्ध धन्नूलाल नामदेव आई0एल0आर0 2024 एम0पी0 935** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी पक्षकार द्वारा मात्र यह संदेह किया जाना कि उसे न्याय नहीं मिलेगा, किसी प्रकरण के अंतरण को न्यायोचित नहीं ठहराएगा, इस प्रभाव की युक्तियुक्त आशंका होनी चाहिए।

**11.** परिणामस्वरूप उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 24 सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

**12.** आदेश की प्रति के साथ अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर, पारित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

हस्ता0

**( ललित किशोर )**
**प्रधान जिला न्यायाधीश,**
**ग्वालियर (म0प्र0)**

LALIT KISHORE

Digitally signed by LALIT KISHORE
Date: 2026.06.17 16:06:04 +0530

हस्ता0

**( ललित किशोर )**
**प्रधान जिला न्यायाधीश,**
**ग्वालियर (म0प्र0)**